न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 47/2018 जिला सीकर

1. मूलाराम पुत्र श्री गणेशाराम, उम्र 75 वर्ष, जाति गूर्जर, निवासी ढाणी चेचीयान, तन पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. घीसाराम पुत्र प्रभू उर्फ प्रभात, जाति गूर्जर, निवासी ढाणी चेचीयान, तन पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 19.4.2018

उपस्थित–

1 वकील अपीलान्ट श्री हर लाल सिंह
2 वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक–9.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 19.4.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ दिनांक 21.8.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह कि रेस्पोंडेन्ट घीसाराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना , जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्रम पीथमपरी में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4515 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकीन चाह खसरा नम्बर 4516 रकबा 0.03 हैक्टेयर बजड एवं खसरा नम्बर 4517 रकबा 1.52 हैक्टेयर के रूप में स्थित है जिसके 1/4 हिस्से की खातेदारी आवेदक के नाम एवं शेष 314 हिस्से की खातेदारी आवेदक के भाईयों गुल्लाराम हरीश चन्द एवं श्रीराम तथा धोली देवी पत्नी श्रवण कुमार एवं धापली पत्नी मूलाराम के नाम से खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज है । प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 1 भूमि के पुराने खसरा नम्बर 2414 थे । पुराने खसरा नम्बर 2414 का काफी बडा रकबा था । जिसका खातेदारी ने अपनी अपनी खातेदारी के अनुसार मौके पर विभाजन कर काश्त करने लग गये एवं अपनी अपनी भूमियों की सिंचाई के लिए समय समय पर कुवों का निर्माण भी कराया एवं जो खातेदार कुवा नहीं बनवा सके उन्होंने अपनी अपनी भूमियो में अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बोरिंग स्थापित कर विद्युत संबंध प्राप्त कर अपनी भूमियों की सिंचाई करते आये हैं । आवेदक व आवेदक के भाईयों ने भी अपनी भूमियों की सिंचाई के लिए उक्त भूमि खसरा नम्बर 2414के उत्तरी पूर्वी कोणे के पास बोरिंग बनवा लिया एवं विद्युत संबंध प्राप्त कर लिया । अपनी खातेदारी 1.52 है. भूमि का मौके पर अलग से सीमांकन कर काश्त करते आये । जिसके अनुसार आवेदक एवं आवेदक के भाईयों की उक्त भूमि पुराने नक्शे के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 2415 के दक्षिणी ओर एवं खसरा नम्बर 1416 के पश्चिमी और स्थित है । भूमि खसरा नम्बर 1414 में जो 1.52 है. भूमि आवेदक एवं आवेदक के भाईयों की खातेदारी में थी जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं के कारण 0.51 है. भूमि धोली देवी एवं धापली

देवी को विक्रय कर दी एवं अपने कब्जे की भूमि के पश्चिमी और की भूमि का कब्जा अपनी सीमांकन की भूमि में ही करा दिया था, किन्तु नये सैटलमेंट का जो नक्शा मौके के अनुसार कायम किया गया उसमे आवेदक की भूमि को मौके के विपरीत दर्शाया गया है जिस स्थान पर आवेदक एवं आवेदक के भाईयों की भूमि के नये खसरा नम्बर 4515, 4516 एवं 4517 कायम किये गये हैं वहॉ ना तो कभी आवेदक एवं आवेदक के भाईयों का कब्जा है ना ही कभी रहा है । आवेदक एवं आवेदक के भाईयों के अपनी कब्जे शुदा खातेदारी भूमियों को काफी धन एवं श्रम लगाकर काबिज काश्त किया हुआ है जिसमें भूमि के सहखातेदारान तहसीलदार के समक्ष राजीनामा पेश करने का विश्वास दिलाया जिसके कारण उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करा लिया गया था । किन्तु दिनांक 20.12.2017 को करने के कारण अब यह प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्रम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के पुराने खसरा नम्बर 2414 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 4515 रकबा 0.01 ग.मु. चाह खसरा नम्बर 4516 रकबा 0.03 एवं खसरा नम्बर 4517 रकबा 1.52 है. कायम किये हैं, को प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 2 में दर्ज नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है ।

रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.4.2018 पारित किया कि "प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं वो तथ्य रिपार्ट से साबित होते हैं । खसरा नम्बर 4526 में बनी ट्यूबवैल पर कब्जा व विद्युत कनेक्शन प्रार्थी के नाम होना बताया है । रिपोर्ट मे जो नजरी नक्शा बनाया है जिसमें भी कब्जा घीसाराम का दर्शाया है । इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त त्रुटि नये सेटलमेन्ट के दौरान सहवन से होना प्रतीत होती है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः उरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्रम पीथमपुरी के पुराने भूमि खसरा नम्बर 2414 के वतमान खसरा नम्बर 4515, 4516, 4517 को प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 2 में दर्ज नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं " ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ दिनांक 21.8.2018 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 19.4.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट भूमि आराजी खसरा नम्बर 4526 रकबा 1.27 है. का खातेदार होने हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति था जिसे कोई नोटिस दिये बिना व सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना व उसे बिना पक्षकार बनाये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर उसके खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये , जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा घोषणा बाबतकिर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी घीसा राम बनाम मूला व अन्य वाद संख्या 187/2017 प्रस्तुत कर रखा है जिसमें भी धारा 136 के प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष ही चाहा गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि धारा

136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल लैण्ड रिकार्ड ऑफीसर लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त कर सकता है वो भी उस स्थिति में जब विपक्षी पक्षकार द्वारा उसके लिये सहमति दी गई हो । उनका कहना था कि खसरा नम्बर 4517 व 4526 के मध्य खसरा नम्बर 4522 की भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने के लिये अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त कर दी है । अधीनस्थ न्यायलय ने भूमि खसरा नम्बर 4526 में स्थित ट्यूबवेल में विद्युत कनेक्शन को आधार बनाकर अपीलाधीन र्णिय पारित किया है जबकि जो विद्युत कनेक्शन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्राप्त किया गया है वो विद्युत कर्मियों से सांठ गांठ करके स्वयं के नाम करवाया है जबकि भूमि के किसी भी हिस्से पर रेस्पोंडेन्ट का कोई कब्जा नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ व विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का नये सैटलमेन्ट के दौरान मौका स्थिति के अनुसार जो नक्शा तैयार किया गया था उसमें रेस्पोंडेन्ट की खातेदारी भूमि को विपरीत दर्शाया गया था तथा इस संबंध में तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट से स्पष्ट है एवं प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में संशोधन करने की प्रार्थना की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.4.2018 पारित कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को रिपार्ट से साबित मानकर खसरा नम्बर 4526 में बनी ट्यूबवैल पर कब्जा व विद्युत कनेक्शन रेस्पोंडेन्ट के नाम होना माना तथा रिपोर्ट मे जो नजरी नक्शा बनाया है जिसमें भी कब्जा घीसाराम का दर्शाये जाने से उक्त त्रुटि नये सेटलमेन्ट के दौरान सहवन से होना मानते हुये उसे दुरूस्त किया जाना उचित समझते हुये रेस्पोंडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी के पुराने भूमि खसरा नम्बर 2414 के वर्तमान खसरा नम्बर 4515, 4516, 4517 को प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 2 में दर्ज नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । जमाबन्दी ग्राम पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर संवत 2067–70 के अनुसार अपीलान्ट मूला पुत्र गणेश आराजी खसरा नम्बर 4522 रकबा 0.9400 व 4526 रकबा 1.2700 का खातेदार दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं वो तथ्य रिपार्ट से साबित होना, खसरा नम्बर 4526 में बनी ट्यूबवैल पर कब्जा व विद्युत कनेक्शन रेस्पोंडेन्ट के नाम होना , रिपोर्ट मे जो नजरी नक्शा बनाया है जिसमें भी कब्जा घीसाराम का दर्शाने से त्रुटि नये सेटलमेन्ट के दौरान सहवन से होना मानते हुये रेस्पोंडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार

किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये गये कि राजस्व ग्रम पीथमपुरी के पुराने भूमि खसरा नम्बर 2414 के वर्तमान खसरा नम्बर 4515, 4516, 4517 को प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 2 में दर्ज नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया गया । हम समझते हैं कि अपीलान्ट विवादित भूमि खसरा नम्बर 4526 का खातेदार है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस जारी किये गये एवं न ही उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान किया गया । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है एवं प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित आदेश विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । ऐसी स्थिति में हम समझते हैं अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 19.4.2018 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना , जिला सीकर दिनांक 19.4.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर